अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

जनसंख्या में लगातार वृद्धि, व्यापक तकनीकी आधुनिकीकरण, नई और अस्थिर जीवन शैली ने जलाभाव की समस्या को निमंत्रित कर, इसे अधिक गंभीर बना दिया है। पेयजल तक पहुंच जीवन का मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पेयजल पाने का संवैधानिक अधिकार भोजन के अधिकार से लिया गया है, जिसे संविधान के अधीन गारंटीकृत जीवन के अधिकार के व्यापक शीर्षक के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का विषय संयुक्त राष्ट्र ने उनके सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा तदोपरांत सतत् विकास लक्ष्यों में भी सम्मिलित किया है। सतत् विकास लक्ष्य-6: 'जल लक्ष्य' द्वारा जल एवं स्वच्छता की सभी के लिए उपलब्धता तथा स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

1.1 हिमाचल प्रदेश में पेयजल की आवश्यकता

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या, 2001 की जनगणना 60.78 लाख के आंकड़े से बढ़ कर, 68.65 लाख हो गई थी, जो भारत की जनसंख्या की 0.57 *प्रतिशत* थी। 1999 के दौरान राज्य में जल की आवश्यकता 454.53 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) (ग्रामीण: 384.32 एमएलडी व शहरी: 70.21 एमएलडी) थी तथा 2021 के दौरान 726.46 एमएलडी (ग्रामीण: 575.97 एमएलडी व शहरी: 150.49 एमएलडी) तक बढ़ने का अनुमान था, जैसाकि **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

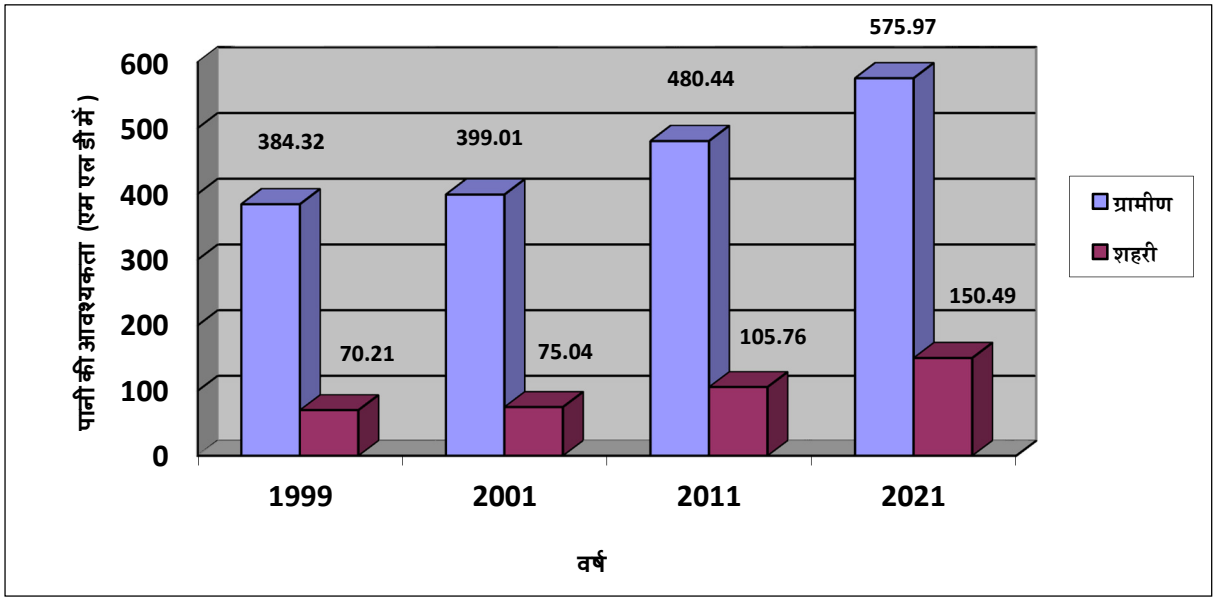

स्रोत: योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2002

1.2 हिमाचल प्रदेश के जल स्रोत

हिमाचल प्रदेश राज्य सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना तथा चिनाब नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों से प्राप्त जल की भारी मात्रा से संपन्न पहाड़ी प्रदेश है। अन्य स्रोतों (भूजल: झरने, नलकूप, आदि; सतही जल: (नदियां, खड्ड[1], नाला, झील, इत्यादि; बारिश का पानी एवं पारंपरिक/प्रचलित स्रोत: बावड़ियां[2] व खात्रियों[3]) से भी पीने का पानी लिया जाता है। राज्य में मार्च 2021 तक लगभग 1.96 लाख पेयजल स्रोत[4] हैं।

पेयजल लोगों को ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीमों तथा उठाऊ जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ग्रेविटी वाटर सिस्टम के अंतर्गत पानी को किसी बाह्य ऊर्जा के उपयोग के बिना पाइप के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को ग्रेविटी द्वारा पहुंचाया जाता है। उठाऊ जल प्रणाली में पानी को बाह्य ऊर्जा के प्रयोग से ईंधन आधारित या विद्युत शक्ति से संचालित पंपों द्वारा पहुंचाया जाता है।

राज्य में जलापूर्ति स्कीमों के मुख्य घटकों में जल स्रोत, राईजिंग/ ग्रेविटी मेन, जल शोधन संयंत्र**,** पंप हॉउस, भण्डारण टैंक तथा वितरण लाइन सम्मिलित है।

ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीम का योजनाबद्ध प्रस्तुतीकरण/रेखा-चित्र

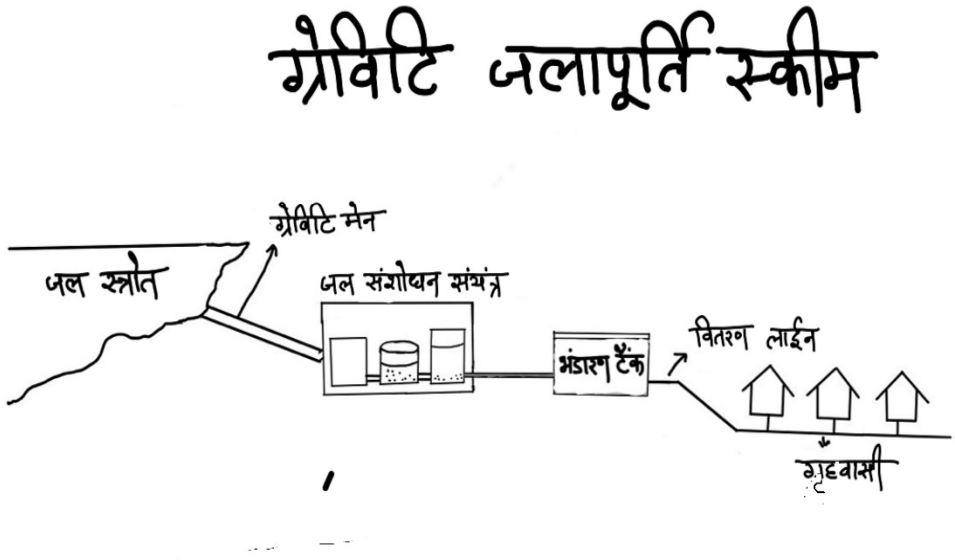

1 खड्ड पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटी नदी है।

2 बावड़ियां सीढ़ीनुमा तालाब या कुएं हैं, जिनमें सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचा जा सकता है।

3 खात्रियां मानव निर्मित कुएं हैं।

4 विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

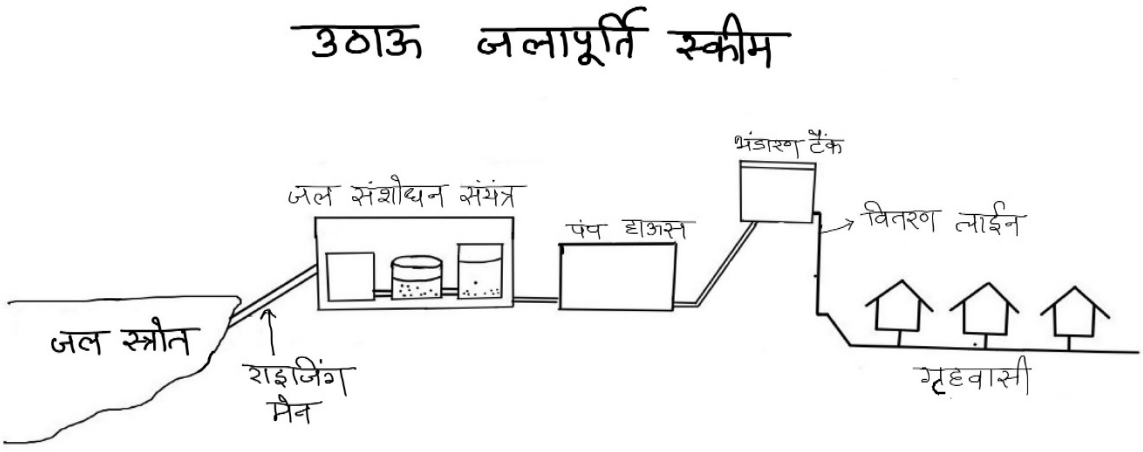

1.3 पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

जल राज्य का विषय है और राज्य सरकार पीने योग्य पानी की न्यूनतम मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार, राज्य में निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दे कर सहयोग करती है। हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व, जल शक्ति विभाग (पूर्व में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) का है। राज्य में जल शक्ति विभाग जलापूर्ति स्कीमों के विकास, निष्पादन, परिचालन व रखरखाव हेतु नोडल विभाग है। स्कीमें भारत सरकार के कार्यक्रमों {राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम /जल जीवन मिशन} तथा ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति स्कीमों हेतु राज्य के कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमोदित की जाती हैं। राज्य की अधिकांश जलापूर्ति स्कीमों का निष्पादन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, विभागीय विनियमों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया जाता है।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

पेयजल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु जल शक्ति विभाग का संस्थागत व अन्य संरचनात्मक विवरण **चार्ट-1.2** में दिया गया है।

चार्ट-1.2

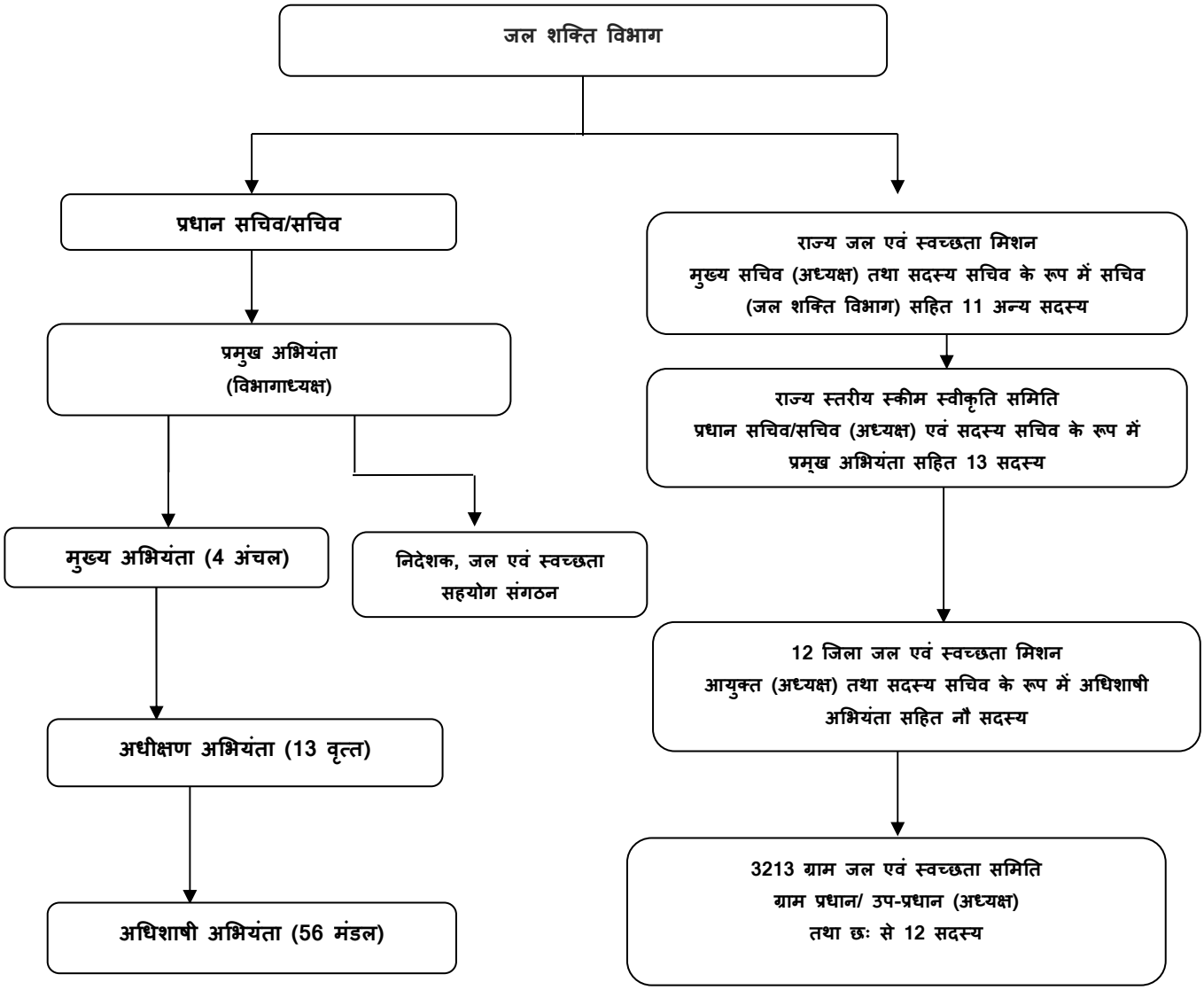

विभागीय तंत्र को जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए स्थापित मिशनों द्वारा सहयोग किया जाता है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन समुदाय नेतृत्व तथा सहभागी परियोजनाओं के लिए नीतिगत दिशानिर्देश उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। मिशन संरचना नवीनतम ज्ञान के साथ तालमेल करने तथा चलने का प्रयास करती है। यह नियमित अधिकारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। यह जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, परियोजना प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना, शिक्षा व संचार, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण तथा गैर सरकारी संगठन समन्वय का प्रतिनिधित्व रखता है।

1.5 पेयजल आपूर्ति स्कीमों के अनुमोदन की प्रक्रिया

जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व जल शक्ति विभाग का है। जलापूर्ति स्कीम के अनुमोदन तथा निष्पादन की प्रक्रिया को निम्न प्रवाह **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

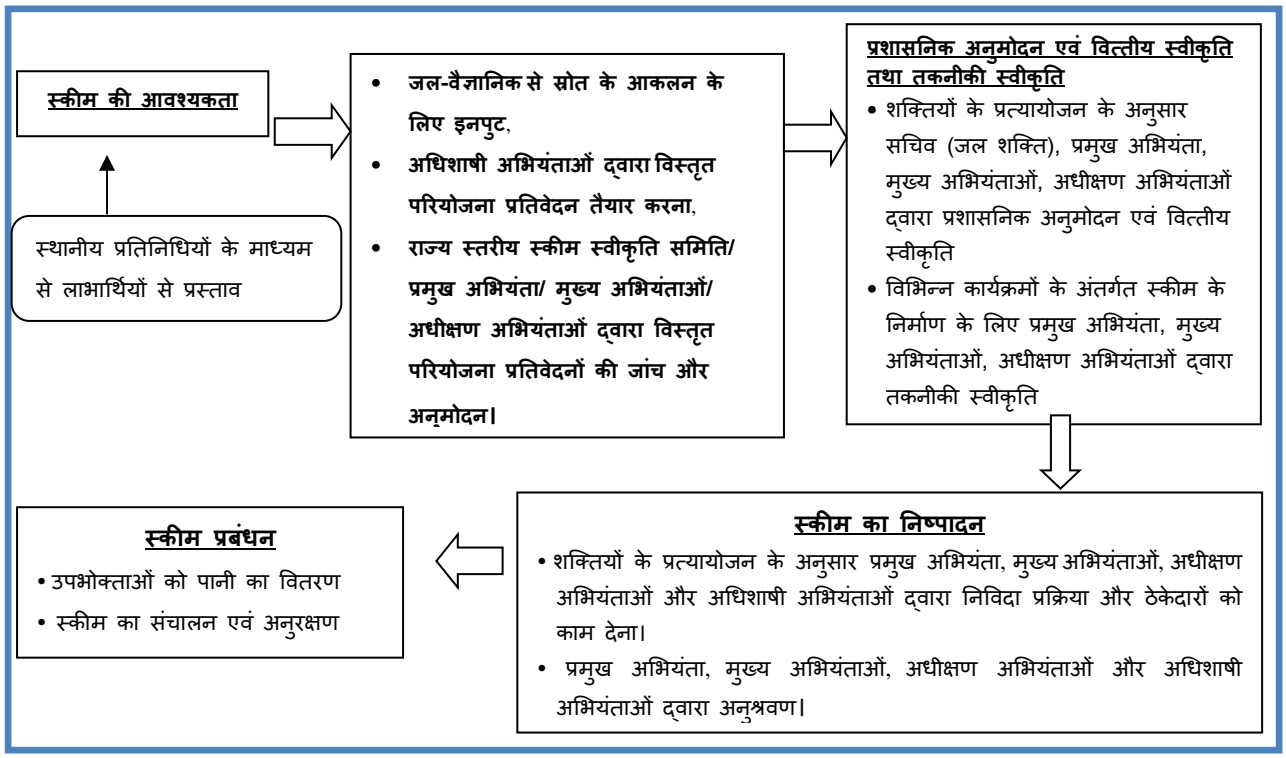

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में मुख्यतः यह निर्धारित करना था कि:

- क्या पेयजल कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु परिकल्पित संस्थागत तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था;
- क्या निधि प्रबंधन मितव्ययी एवं कुशल था;
- क्या कार्यक्रमों/ स्कीमों का कार्यान्वयन कुशल एवं प्रभावी था;
- क्या कार्यक्रमों/ स्कीमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी तंत्र विद्यमान था; तथा
- क्या गृहवासी पेयजल सेवाओं से संतुष्ट थे।

1.7 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली;

- समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल, 2013;
- हिमाचल प्रदेश जल नीति, 2013;
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2013) तथा जल जीवन मिशन (2019) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश;
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश व निर्देश;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम और;
- स्कीमों/कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रियाएं।

1.8 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को आवृत्त किया गया था तथा निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य जुलाई 2021 से मार्च 2022 के दौरान किया गया था। यादृच्छिक नमूनों के आधार पर चयनित प्रमुख अभियंता, निदेशक (जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन), सभी चार अंचलों[5] (ज़ोन) के मुख्य अभियंताओं, आठ (13 में से) वृत्तों[6] (प्रत्येक चार ज़ोन में से दो) के अधीक्षण अभियंताओं के अभिलेखों की संवीक्षा की गई। स्तरीकृत नमूना तकनीक के आधार पर चयनित वृत्तों में 20 मण्डलों[7] (56 में से) के अधिशाषी अभियंताओं के कार्यालयों के अभिलेखों की भी नमूना-जांच की गई। 2016-21 के दौरान उपरोक्त 20 मण्डलों में 457 पूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों में से 40 पेयजल आपूर्ति स्कीमों (उठाऊ जलापूर्ति स्कीम: 23 तथा ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीम: 17) तथा 15 अपूर्ण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की विस्तृत संवीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, जल सेवाओं के वितरण एवं गुणवत्ता के निर्धारण हेतु 1109 लाभार्थियों/निवासियों (40 चयनित पूर्ण स्कीमों में से) का सर्वेक्षण भी किया गया।

सचिव (जल शक्ति) के साथ अगस्त 2021 में आरंभिक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। अभिलेखों की संवीक्षा, प्रश्नावली जारी कर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके, लेखापरीक्षा ज्ञापन तथा विभिन्न स्तरों पर विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार किए गए। 5 दिसंबर 2022 को आयोजित अंतिम सम्मेलन में सचिव (जल शक्ति) तथा विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा इस प्रतिवेदन में विभाग के दृष्टिकोण को उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

1.9 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान विभागीय पदाधिकारियों/प्राधिकारियों एवं लाभार्थियों द्वारा दिए गए सहयोग व सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है।

---

5 धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी व शिमला।

6 बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, रिकांगपिओ व शिमला।

7 बग्गी, भोरंज, बिलासपुर, चम्बा, चौतड़ा, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, झंडूता, काजा, केलांग, कुल्लू, मण्डी, मतियाना, पालमपुर, रामपुर, रिकांगपिओ, सलूणी, शिमला व थुरल